

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4733/

जबलपुर, दिनांक 31/07/2025

श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को बिना सूचना एवं आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 01.05.2025 से 15.05.2025 तक 15 दिन, दिनांक 01.06.2025 से 13.06.2025 तक 13 दिन एवं दिनांक 21.06.2025 से 30.06.2025 तक 10 दिन का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 01.07.2025 से लगातार कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण माह जुलाई 2025 से आगामी आदेश तक वेतन का भुगतान रोका जाता है।

(हर्ष सिंह बहरावत)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4734/

जबलपुर, दिनांक 31/07/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
6. श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)